बीस रुपये COURT FEE भारत INDIA TWENTY RUPEES

निग० मु० 1022/2015

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र० ।

===

निगरानी 1022-I-15
प्रकरण क्रमांक ——— /2015 R सन्

रमेश चन्द्र तनय स्व. श्री मोतीलाल विश्वकर्मा निवासी ग्राम खन्देवरा तह० व जिला छतरपुर हाल निवासी वार्ड नं. 31 मऊ दरवाजा सिटी पोस्ट आफिस के सामने छतरपुर तह० व जिला छतरपुर म०प्र० ———निगरानीकर्ता

बनाम

रतन यादव तनय ~~0000~~ मातादीन यादव निवासी ग्राम देवपुर तिवैरा तह० व जिला छतरपुर म०प्र० ———गैर निगरानीकर्ता

श्री मुकेश भार्गव एड० द्वारा आज दि. 7-5-15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू-रा० संहिता 1959 विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् अनु० अधि० महोदय छतरपुर तह० व जिला छतरपुर के प्र.क्र. 25/अपील/अ-19/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 18/12/2014 के विरूद्ध ।

===

मुकेश भार्गव
7-5-15 एडवोकेट
ग्वालियर

महोदय,

उक्त निगरानीकर्ता यादव निम्न निगरानी प्रस्तुत करता है :-

§1§ यह कि ग्राम खन्देवरा तह० व जिला छतरपुर म०प्र० की भूमि खसरा नं. 4, 8/2 क्रमशः रकवा 0.251 हे०, 0.049 हे० के आवंटन हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र के खण्ड 4 के भाग 3 की कंडिका 24 के तहत् कृषि योग्य भूमि के छोटे-2 टुकड़ो के बेहतर उपयोग हेतु उक्त भूमि के व्यवस्थापन हेतु एक आवेदन न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय, छतरपुर के यहाँ प्रस्तुत किया था । और उक्त आवेदन पर न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, सर्किल महेबा के यहाँ प्र.क्र. 01/अ-19/1996-97 पंजीबद्ध हुआ । जिसमें सम्पूर्ण विवेचना के उपरांत नायब तहसीलदार महेबा के द्वारा दिनांक 5/01/1998 को आदेश पारित किया । और अनुमोदन के लिये अनु० अधि० महोदय, के 8 यहाँ संप्रेषित किया ।

शाखा प्रभारी (रा.मं.) कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

§2§ यह कि अनु० अधि० महोदय, ने नायब तहसीलदार महोदय, के आदेश को यथा प्रस्तावित किया । और दिनांक 4/4/1998 ~~को~~ को नायब तहसीलदार महोदय, द्वारा आदेश पारित किया गया कि, रकवा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1022-एक/2015 जिला छतरपुर रमेशचंद्र विरूद्ध रतन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 25/अपील/अ-19/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 18-12-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 17-05-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 7/1/19
सदस्य